राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 75/2020

1. अन्ची देवी पत्नी सांवल राम
2. रामवतार पुत्र सांवल राम
3. रोहिताश्व पुत्र सांवल राम
4. मिनकी देवी पुत्री सांवल राम
5. चिड़िया देवी पुत्री सांवल राम

जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादी

दावा– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक :–04–11–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ़ तहसील खेतड़ी के निवासी है जो सांवलराम पुत्र नाथा के वारिशान है। वादीगण के पति/पिता सांवलराम की दिनांक 27.10.2018 को मृत्यु हो गई है। वादिया सं. 1 का सही नाम अन्ची देवी है तथा वादीगण के पति/पिता का सही नाम सांवल राम है जो वादीगण के समस्त दस्तावेजात में दर्ज है। ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 244 के ख.नं. 1663/769 रकबा 0.21 है., ख.नं. 1665/730 रकबा 0.91 है., ख.नं. 1667/730 रकबा 0.66 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.78 है. के वादी सं. 1 लगा. 3 तथा सांवल पुत्र नाथा संयुक्त खातेदार है। उक्त भूमि में वादिया का नाम अन्ची देवी के स्थान पर आची देवी लिखा गया जो गलत है तथा वादीगण के पति/पिता का नाम सांवल राम के स्थान पर सांवल लिखा गया जो गलत है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है तथा अपने पति/पिता सांवल राम के 1/4 हिस्से के संयुक्त रूप से खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। वाके ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 26 के खसरा नंबर 1467 रकबा 0.11 है., ख.नं. 1468 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1477 रकबा 0.45 है., ख.नं. 1489 रकबा 0.07 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है. में वादीगण के पति/पिता का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगा. 2078 के खाता सं. 62 के ख.नं. 1361 रकबा 0.15 है., ख.नं. 1362 रकबा 0.14 है., ख.नं. 1363 रकबा 0.14 है., ख.नं. 1364 रकबा 0.18 है., ख.नं. 1412 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1413 रकबा 0.29 है., ख.नं. 1457 रकबा 0.36 है., ख.नं. 1458 रकबा 0.16 है., ख.नं. 1469 रकबा 0.42 है., ख.नं. 1473 रकबा 0.26 है., ख.नं. 1491 रकबा 0.11 है., ख.नं. 1493 रकबा 0.18 है., ख.नं. 664 रकबा 0.47 है., ख.नं. 728 रकबा 0.03 है. कुल किता 14 कुल रकबा 2.99 है. में वादीगण के पति/पिता का /4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा वाके ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी सं[illegible] लगायत 2078 के खाता सं. 122 के खसरा नंबर 1528/1456 रकबा 0.35 है. में वा[illegible] के [illegible]ति/पिता का 1/16 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पति/पिता [illegible] स्वर्गवास होने के बाद वादीगण अपने पति/पिता की भूमि पर काबिज [illegible] हैं। वादीगण के प[illegible] का सही नाम सांवलराम है जो उनके समस्त दस्तावेजात में व[illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

JW

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वाद वर्णित भूमि खाता सं. 244, 26, 62 व 122 में वादीगण के पिता का नाम सांवल दर्ज होने के कारण वादीगण की भारी हकतलफी हो रही है तथा वादीगण के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए वादीगण को रिकार्ड को दुरूस्त करवाने व अपने पिता की भूमि अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने के लिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगा. 2078 के खाता सं. 244 के ख.नं. 1663/769 रकबा 0.21 है., ख.नं. 1665/730 रकबा 0.91 है., ख.नं. 1667/730 रकबा 0.66 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.78 है. में वादिया का नाम आची देवी के स्थान पर अन्ची देवी दर्ज किया जावे तथा वादीगण के पति/पिता का नाम सांवल के स्थान पर सांवल राम दर्ज किया जावे तथा सांवल के नाम से दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि का वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा सांवल पुत्र नाथा का नाम हजफ किया जावे तथा रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

वाके ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 26 के खसरा नंबर 1467 रकबा 0.11 है., ख.नं. 1468 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1477 रकबा 0.45 है., ख.नं. 1489 रकबा 0.07 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है. में वादीगण को सांवल पुत्र नाथा के स्थान पर संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का तथा वाके ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगा. 2078 के खाता सं. 62 के ख.नं. 1361 रकबा 0.15 है., ख.नं. 1362 रकबा 0.14 है., ख.नं. 1363 रकबा 0.14 है., ख.नं. 1364 रकबा 0.18 है., ख.नं. 1412 रकबा 0.10 है., ख.नं. 1413 रकबा 0.29 है., ख.नं. 1457 रकबा 0.36 है., ख.नं. 1458 रकबा 0.16 है., ख.नं. 1469 रकबा 0.42 है., ख.नं. 1473 रकबा 0.26 है., ख.नं. 1491 रकबा 0.11 है., ख.नं. 1493 रकबा 0.18 है., ख.नं. 664 रकबा 0.47 है., ख.नं. 728 रकबा 0.03 है. कुल किता 14 कुल रकबा 2.99 है. में वादीगण को सांवल पुत्र नाथा के स्थान पर संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का तथा ग्राम नई कोठी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगा. 2078 के खाता सं. 122 के खसरा नंबर 1528/1456 रकबा 0.35 है. में वादीगण को सांवल पुत्र नाथा के स्थान पर संयुक्त रूप से 1/16 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे तथा रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा उक्त खातों से सांवल पुत्र नाथा का नाम हजफ फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/1730 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा पटवार हल्का माधोगढ़ की मूल रिपोर्ट बिन्दुवार प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है :–

1. राजस्व रिकार्ड ग्राम नई कोठी के मुताबिक आची देवी पत्नी सांवल का अंकन नामांतरकरण सं. 346 दिनांक 30.12.2016 निर्णय डिक्री द्वारा हुआ है।
2. जांच के दौरान प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध कराये दस्तावेज आधार कार्ड 702857582452 में अनची पत्नी सांवलराम, भामाशाह कार्ड परिवार क्रमांक VRJGOKT में अनची देवी पत्नी सांवल राम तथा वोटर आईडी क्रमांक RJ/04/025/567489 में आंची पत्नी सांवलराम दर्ज है।
3. राजस्व रिकार्ड में दर्ज व्यक्ति एवं प्रार्थी अन्ची देवी दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
4. शेष खाता सं. 26, 62, 122 ग्राम नई कोठी में क्रमशः सांवल पुत्र नाथा हि. 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार सांवल पुत्र नाथा हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह तथा सांवल पु0 नाथा हि. 1/16 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है।
5. सांवल पुत्र नाथा की मृत्यु हो चुकी है।
6. राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना [illegible]त होगा।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] संवत् 2075–78 खाता सं. 244, खाता सं. 122, खाता सं. 62 व खाता सं. 26 ग्राम [illegible] कोठी तथा फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सांवल राम को पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. 244 में आचीदेवी पत्नी सांवल हिस्सा 1/4, रामवतार पुत्र सांवल हिस्सा 1/4, रोहिताश्व पुत्र सांवल हिस्सा 1/4, सांवल पुत्र नाथा हिस्सा 1/4, खाता सं. 122 में सांवल पुत्र नाथा हिस्सा 1/16, खाता सं. 62 में सांवल पुत्र नाथा हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या 26 में सांवल पुत्र नाथा हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का माधोगढ़ की रिपोर्ट व फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सांवल राम पुत्र नाथा राम के अनुसार वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर केवल राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती के अनुतोष मुताबिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम नई कोठी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 244 में दर्ज खातेदार आचीदेवी पत्नी सांवल के स्थान पर अन्ची देवी पत्नी सांवल राम तथा वादीगण के पिता/पति का नाम सांवल के स्थान पर सांवल राम एवं भूमि खाता संख्या 122, खाता संख्या 62 एवं खाता संख्या ~~62~~ 26 में दर्ज खातेदार सांवल पुत्र नाथा के स्थान पर सांवल राम पुत्र नाथा राम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

अन्ची देवी आदि

ब–ना–म

राजस्थान सरकार

दावा बाबत **घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती**
मुकदमा नम्बर :– **75/2020**
निर्णय दिनांक :– **04–11–2022**

वादीगण की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **04–11–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम नई कोठी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 244 में दर्ज खातेदार आचीदेवी पत्नी सांवल के स्थान पर अन्ची देवी पत्नी सांवल राम तथा वादीगण के पिता/पति का नाम सांवल के स्थान पर सांवल राम एवं भूमि खाता संख्या 122, खाता संख्या 62 एवं खाता संख्या 62 में दर्ज खातेदार सांवल पुत्र नाथा के स्थान पर सांवल राम पुत्र नाथा राम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **04–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner